न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 14 / 2024 जीसीएमएस : 2024 / 140

01. जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री भोलासिंह जाति जटसिख साकिन 76 आर.बी. तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर। –:प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर। अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–03.06.2024

उपस्थित:
1.श्री गुरप्रतापसिंह प्रार्थी अधिवक्ता।
2. राजपेरोकार सरकार अप्रार्थी।

दिनांक 25.09.2024

–निर्णय–

01. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत वाके चक 84 आर.बी. बी तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 43 में अन्य भूमि के अलावा पं.नं. 252 / 267 मु.नं. 21 के कि.नं. 5–6–15–24 / 1–25 की कुल 1.392 है. नहरी भूमि आवेदक के नाम दर्ज हैं। जिसमें से रास्ता की मांग की गई है वह चक 84 आर.बी.बी. पं.नं. 251 / 267 मु.नं. 22 के अन्य रकबा के अलावा कि.नं. 1 ता 25 प्रत्येक 0.253 है. बारानी भूमि आराजीराज दर्ज है। आवेदक को रकबा में स्वय वा कृषि यत्र बड़ी कम्बाईन, बिड लगी बडी ट्रालिया, कल्टीवेटर आदि सहित प्रवेश करने क लिए अनावेदक की भूमि वाके चक 84 आर.बी. बी के मु.नं. 22 के कि.न. 5–4–3–2–1 के उतरी दिशा में चले आ रहे चालू व अस्वीकृत रास्ता से होते हुये, जो चालू स्वीकृत ग्रामीण रास्ता मुरब्बा नं. 23 के कि.नं. 1–10–11–20 व 21 से जुडता हुआ है, आवेदक इसी चक के मुरब्बा नं. 21 के अपने कि.नं. 5 से अपनी भूमि में प्रवेश करता है। अनावेदक के रकबा में चल रहे आ रहे उक्त अस्वीकृत चालू प्रस्तातिव रास्ता के अलावा अन्य कोई सरल, सुगम, नजदीकी, सुविधाजनक रास्ता आवेदक की अपनी जोत में पहुंच के लिये उपलब्ध नहीं होने से उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाने का आवेदक कानूनी अधिकार रखता है, इसलिये यह आवेदन पेश किया जा रहा हैं। अतः आवेदन मय हल्फनामां पेश कर निवेदन है कि आवेदन आवेदक स्वीकार फरमाया जाकर उसकी जोत में पहुंच के प्रयोजनार्थ अनावेदक राजस्थान सरकार की धृति वाके चक 84 आर.बी.बी. तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 251 / 267 मु.नं. 22 कि.न 5–4–3–2–1 प्रत्येक में दो–दो बिस्व कुल 10 बिस्वा यानि 0.125 है. उतरी पासा स्वीकृत फरमाया जावे।

02. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 राजस्थान सरकार की तरफ से राजपेराकोर सरकार उपतहसील समेजा कोठी जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। जिसमें अंकित है कि उक्त 251 / 267 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा भूमि की कीमत राजस्वकोष में जमा करवाने के पश्चात ही रास्ता स्वीकृत की कार्यवाही अपेक्षित होना है।

03. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र [illegible] दिनांक 11.07.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक भू–अभि [illegible] की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के नाम 84 आरबी बी खात[illegible] 21 के कि.नं. 5–6–15–16–24 / 1–25 की कु[illegible] नहरी भू[illegible]गेन्द्रसिंह पुत्र भोलासिंह जाति जटसिख साकिन 76 आ[illegible] एफएफबी दर्ज रिकार्ड है। चक 84 आरबी [illegible] 22 के कि.न 1 ता 25 की 6.325 है. बारानी भूमि आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। [illegible] वर्तमान में चक 84 आरबी बी के मु.न. 23 में स्वीकृतशुद्दा रास्ता से मु.न. 22 के कि.नं. 1 ता 5 अपनी

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

भूमि में आवागमन कर रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त रकबे मु.नं. 22 के कि.नं. 1 ता 5 में प्रत्येक में दो–दो बिस्वा उतरी पासा में रास्ता चाहा गया है। अतः चक 84 आरबीबी मु. न. 22 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा उतरी पासा में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है उक्त रकबे पर मुताबिक रिकार्ड कोई वाद स्थगन आदि रिकार्ड में दर्ज नहीं।

04. बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ते के बदले प्रार्थीगण राज्य सरकार के नियमानुसार राशि का भुगतान भी कर सकते है।

05. हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष, की बहस सुनकर व समझकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, राजपेरोकार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के जवाब, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर व, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि चक 84 आरबीबी मु.नं. 22 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा उतरी पासा में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। इसी रास्ते से अपनी भूमि में आवागमन कर सकते है। इस रास्ते के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थी को अपनी भूमि में प्रवेश के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग अतिआवश्यक है और प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र के नहीं है। यह प्रार्थीगण की आत्यांतिक श्रेणी में आता है। उक्त वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है अतः प्रार्थना पत्र 251 क प्रार्थी का स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 84 आरबी बी के प.नं. 251/267 मु.नं. 22 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में **दो–दो बिस्वा उतरी पासा पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि आराजीराज दर्ज रिकार्ड है अतः मु.नं. 22 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक की दो–दो बिस्वा अर्थात कुल 10 बिस्वा भूमि के बदले प्रार्थी से वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि राजस्व मद में जमा करवाने उपरान्त ही गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो, आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र }
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला गंगानगर, राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र }
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला गंगानगर, राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner